بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ
دفتر مجلس انصاراللہ بھارت
Office Of The Majlis Ansarullah Bharat
Mohallah Ahmadiyya Qadian-143516, Distt.Gurdaspur (Punjab) INDIA

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह अल-ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, बयान फ़र्मूदा 01 नवम्बर 2024 स्थान मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, यू.के.

बनू क़ुरैज़ा नामक युद्ध के परिपेक्ष में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान।

Mob: 9682536974 E.mail. ansarullah@qadian.in Khulasa khutba- 01.11.24

محلہ احمدیہ قادیان پنجاب-143516

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

امّا بعد فاعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم۔ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعَالَمِیۡنَ۔ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ۔ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَاِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ۔ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ۔ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَلَا الضَّآلِّیۡنَ۔

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- बनू क़ुरैज़ा नामक युद्ध का और अधिक विवरण इस प्रकार है कि इस युद्ध में दो मुसलमान हज़रत ख़ल्लाद बिन सुवेद रज़ी. और हज़रत मुंज़िर बिन मुहम्मद रज़ी. शहीद हुए जबकि बनू क़ुरैज़ा के यहूदियों में से हताहत होने वाले यहूदियों की संख्या के बारे में मतभेद है। विभिन्न रिवायतों में छः सौ से नौ सौ तक संख्या बयान हुई है परन्तु हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. अपने अनुंधान के अनुसार लिखते हैं कि लगभग चार सौ आदमी उस दिन सअद रज़ी. के फ़ैसले के अनुसार वध किए गए और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी. को आदेश देकर उन मारे गए लोगों को अपने प्रबन्ध के अनुसार दफ़न करवाया। इस्लाम के विरोधी मारे गए लोगों की अत्यधिक संख्या बयान करके इस्लाम का अत्याचारी धर्म होना घोषित कर देते हैं।

इस ज़माने के एक अहमदी स्कालर सय्यद बरकात साहब ने भी अपनी किताब रसूले अकरम स. और यहूद हिजाज़ में, इस पर अति खोजबीन के बाद लिखा कि आँखें बन्द करके सभी रिवायतों को मानते चले जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है और इन रिवायतों पर पुनः विचार किया जाना चाहिए कि कहीं अत्यधिक

बढ़ा चढ़ा कर बातें न लिखी गई हों। उनके शोध एवं खोज के अनुसार बनू क़ुरैज़ा नामक युद्ध में हताहत होने वाले यहूदियों की संख्या बीस से अधिक नहीं। यह उन्होंने और अधिक कम कर दिए और यह किस सीमा तक बुद्धि में आने वाली बात है। कुछ बातें उनकी उचित भी हैं तथा उनको शोध करने में आधार बनाया जा सकता है।

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. ने बनू क़रैज़ा वाले युद्ध में हताहत होने वाले यहूदियों की संख्या पर होने वाले ग़ैर मुस्लिम इतिहासकारों के जवाब में फ़रमाया कि बनू क़ुरैज़ा की घटना के विषय में कुछ ग़ैर मुस्लिमों ने अत्यंत कुरूप शैली में आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध हमले किए हैं तथा उन लगभग चार सौ यहूदियों के मृत्यु दंड के कारण आप स. को एक, नऊज़ुबिल्लाह, दुष्ट एंव अत्याचारी शासक के रंग में पेश किया है। इस आरोप का आधार धार्मिक पक्षपात है, कुछ मुसलमान भी उनके विचारों से प्रभावित हुए हैं।

इस आपत्ति के जवाब में पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि बनू क़रैज़ा के बारे में जिस फ़ैसले को अत्याचार कहा जाता है वह सअद बिन मआज़ रज़ी. का फ़ैसला था और जब वह आप स. का फ़ैसला ही नहीं था तो इसके कारण आप स. पर आपत्ति नहीं की जा सकती। दूसरे यह फ़ैसला उस समय की परिस्थितियों के अंतर्गत कदाचित अत्याचार तथा अनुचित नहीं था। तीसरी बात यह कि उस एहद के कारण जो सअद रज़ी.द ने फ़ैसले की घोषणा से पहले आप स. से लिया था, आप स. इस बात के पाबन्द थे कि हर हाल में उसके अनुसार ही अमल करते। चौथी बात यह है कि जब स्वयं दोषियों ने इस फ़ैसले को स्वीकार किया तथा इस पर कोई आपत्ति नहीं की और जैसा कि हुयी बिन अख़तब की हत्या किए जाने के समय उसके शब्दों से व्यक्त होता है कि उसने उसे अपने लिए ख़ुदा का विधान समझा, तो इस अवस्था में आप स. का यह काम नहीं था कि अकारण ही उसमें दख़ल देने के लिए खड़े हो जाते।

सअद रज़ी. के फ़ैसले के बाद इस मामले के साथ आप स. का सम्बंध केवल इतना ही था कि आप स. ने अपने शासन की व्यवस्था के अंतर्गत इस फ़ैसले को ऐसे रंग में जारी फ़रमाया कि जो रहमत एवं परोपकार का अति सुन्दर नमूना समझा जा सकता है।

अतः न केवल बनू क़ुरैज़ा की घटना के सम्बंध में आप स. पर कदाचित कोई आपत्ति की जा सकती है बल्कि सच्ची बात यह है कि यह घटना आप स. के दिव्य आचरण, सुन्दर व्यवस्था तथा आप स. की दया भावना का एक अत्यंत स्पष्ट प्रमाण है।

अब रहा मूल फ़ैसले का सवाल, सो इतिहास से पता लगता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समय मदीना में आबाद यहूदियों के तीन क़बीलों, बनू क़ैनक़ाअ, बनू नज़ीर तथा बनू क़ुरैज़ा के साथ अमन व शांति का एक समझौता किया, जिसके अनुसार यह था कि मुसलमान तथा यहूदी अमन एवं शांति के साथ मदीने में रहेंगे, एक दूसरे के साथ मैत्री सम्बंध रखेंगे, एक दूसरे के दुश्मनों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे, यदि किसी बाहर के क़बीले अथवा क़बीलों की ओर से मदीना पर कोई हमला होगा तो सब मिलकर उसका मुक़ाबला करेंगे, यदि समझौता करने वालों में से कोई व्यक्ति अथवा गिरोह इस समझौते को तोड़ेगा अथवा फ़ितना एवं फ़साद का कारण बनेगा तो दूसरों को उसके विरुद्ध हाथ उठाने का अधिकार

होगा। समस्त मतभेद एवं झगड़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे और सबके लिए आप स. के फ़ैसले के अनुसार आज्ञा पालन अनिवार्य होगा, परन्तु यह आवश्यक होगा कि हर एक व्यक्ति अथवा क़ौम के सम्बंध में उसी के धर्म के अनुसार तथा उसी की शरीअत के नियमानुसार फ़ैसला किया जावे।

इस समझौते को सबसे पहले बनू क़ैनक़ाअ ने तोड़ा तथा मुसलमानों से युद्ध छेड़ दिया तथा जब वे मुसलानों से पराजित हुए तो आप स. ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा केवल उनको बस्ती से निकल जाने का निर्देश दिया ताकि नगर की शांति भंग न हो तथा मुसलमान उनके उपद्रव से सुरक्षित हो जाएँ। अधिक समय नहीं बीता था कि यहूद के दूसरे क़बीले बनू नज़ीर ने भी सिर उठाया तथा सबसे पहले उनके रईस कअब बिन अशरफ़ ने समझौता तोड़ कर क़ुरैश तथा अन्य क़बीलों के साथ मुसलमानों के विरुद्ध षड्यन्त्र शुरु कर दिया तथा अन्ततः आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या की योजना बना ली। जब आप स. के आदेश से यह व्यक्ति मारा गया तो उसके क़बीले ने आप स. की हत्या की योजना की। उनके ख़ूनी इरादों से अवगत होने पर जब आप स. ने उनको चेतावनी दी तथा दंड देना शुरु किया तो वे मुसलमानों के साथ लड़ने को तय्यार हो गए तथा इस युद्ध में बनू क़ुरैज़ा ने उनके साथ सहयोग किया। जब बनू नज़ीर आधीन हो गए तो आप स. ने बनू क़ुरैज़ा को तो पूर्णतः क्षमा कर दिया तथा बनू नज़ीर को मदीने से अमन एवं शांति के साथ चले जाने की अनुमति दे दी। इस उपकार का बदला बनू नज़ीर ने यह दिया कि मदीने से बाहर जाकर अरब के विभिन्न क़बीलों के साथ मिल कर एक टिड्डी दल सेना मदीने पर चढ़ा लाए तथा सबसे यह पक्का वादा लिया कि जब तक इस्लाम को पूर्णतः नष्ट न कर लेंगे, वापस नहीं जाएँगे। ऐसे भयावह समय पर यहूद के तीसरे क़बीले बनू क़ुरैज़ा ने ठीक उस समय विश्वासघात किया जबकि तीन हज़ार मुसलमान दुर्बल, निःसहाय एवं सुविधा रहित होने की अवस्था में काफ़िरों की दस पन्द्रह हज़ार की विशाल एवं भयानक सेना से घिरे हुए बैठे थे तथा मौत उन्हें अपने सामने दिखाई देती थी। बनू क़ुरैज़ा ने मुस्लिम महिलाओं तथा बच्चों पर पीछे से हमल कर दिया। बनू क़ुरैज़ा का यह काम एक विश्वासघात एवं समझौते को तोड़ना ही नहीं था बल्कि एक भयानक विद्रोह था।

ऐसी अवस्था में उनका समझौते को तोड़ना, विश्वासघात, विद्रोह तथा हत्या को योजना जैसे अपराधों पर दंड के अतिरिक्त क्या दिया जा सकता था, स्पष्ट है कि सम्भावित केवल तीन दंड ही दिए जा सकते थे। पहला यह कि मदीने में ही बन्दी बनाकर रखना, दूसरे बस्ती से निकालना तथा तीसरे यौद्धाओं की हत्या तथा शेष लोगों की क़ैद अथवा अपने घेरे में बन्दी बनाकर रखना। पहली प्रकार के दंड में एक दुश्मन क़ौम को अपने नगर में बन्दी बनाकर रखना उस ज़माने की दृष्टि से पूर्णतः विचार योग्य नहीं था। क्यूँकि फ़ितना फैलाना, फ़साद करना, शरारत तथा गुप्त षड्यन्त्र के लिए उनको वही छूट मिली रहती जो पहले थी, परन्तु उनके पालन पोषण के ख़र्चों का दायित्व मुसलमानों पर आ जाता, जिसको सहन करने का सामर्थ्य उस समय मुसलमानों में कदाचित नहीं था। दूसरा दंड अर्थात बस्ती से निकालना, अर्थात यहूदियों को बस्ती से बाहर निकल जाने की अनुमति देना, सिवाए इसके कोई मतलब नहीं रखता कि न केवल यह कि इस्लाम के उत्सुक विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो जाए बल्कि इस्लाम के शत्रुओं की पंक्तियों में ऐसे लोग जा मिलें जो

अपने भयानक भड़काऊ एवं विरोधी प्रोपगन्डे, गुप्त षड्यन्त्र तथा विरोधी गतिविधियों के कारण हर एक मुस्लिम विरोधी तहरीक का लीडर बनने के लिए उत्सुक रहते थे। उस ज़माने के हालात के अंतर्गत मुसलमानों का यह काम कदाचित किसी आत्महत्या से कम न होता। किन्त् क्या दुनिया के पर्दे पर कोई ऐसी क़ौम है जो दुश्मन को जीवित रखने के लिए स्वयं आत्महत्या करने को आतुर हो सकती है, यदि नहीं तो निःसन्देह मुसलमान भी इस कारण से दोषी नहीं समझे जा सकते। अतएव ये दोनों दंड देना सम्भव नहीं था तथा इनमें से किसी को धारण करना अपने आपको पूर्णतः विनाश में डालना था और इन दो सज़ाओं को छोड़ कर केवल वही रास्ता खुला था जिसके अनुसार दंड दिया गया। यही कारण है कि मारगोलिस जैसा इतिहासकार भी जो कदापि इस्लाम के दोस्तों में से नहीं है, इस अवसर पर वह भी इस बात को स्वीकार करने के लिए विवश हुआ है कि सअद रज़ी. का फ़ैसला परिस्थितियों की विवशता पर आधारित था जिसके बिना कोई रास्ता नहीं था।

आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों की बीच होने वाले समझौते की एक शर्त यह भी थी कि यदि यहूदियों के विषय में कोई बात निर्णय से सम्बंधित पैदा होगी तो उसका फ़ैसला स्वयं उनकी ही शरीअत के अंतर्गत किया जाएगा। तौरात पर नज़र डालें तो वहाँ इस प्रकार के अपराध की सज़ा जो बनू क़ुरैज़ा ने किया था हूबाहू वही लिखी हुई है जो सअद बिन मआज़ रज़ी. ने बनू क़ुरैज़ा पर जारी की। सारांश यह है कि सअद रज़ी. का फ़ैसला यद्यपि अपने आप में उदारता समझा जावे, परन्तु वह कदाचित न्याय एवं इंसाफ़ के विरुद्ध नहीं था और फिर यह फ़ैसला यहूदी शरीअत के समतल्य (पूर्णतः मुताबिक़) था।

किन्तु जो कुछ भी था यह फ़ैसला सअद बिन मआज़ रज़ी. का था, आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। आप स. का सम्बंध एक शासक के रूप में केवल इतना था कि आप स. इस फ़ैसले को अपने शासन की व्यवस्था के अंतर्गत जारी फ़रमाएँ और आप स. ने उसे ऐसे रंग में जारी फ़रमाया जो मौजूदा ज़माने के सभ्य से सभ्य तथा दयालु से दयालु हृदय वाले शासन के लिए भी एक सुन्दरतम नमूना समझा जा सकता है।

यह जवाब है आजकल के उन लोगों को जो इस्लाम पर आपत्ति जताते हैं तथा उसके परिणाम स्वरूप हमारे भी कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। बनू क़ुरैज़ा को आधार बना कर कहते हैं कि फ़लिस्तीनियों के विरुद्ध काररवाई भी उचित है जबकि इसकी इस समय जो हालत है उसकी तो इसके साथ कोई समानता ही नहीं है, आजकल के हालात से। अतएव यह सारा दोष भी मुसलमानों का ही है जिन्होंने अपने लाभ के लिए इस्लाम की साख नष्ट कर दी। अल्लाह तआला इन लोगों को भी बुद्धि प्रदान करे। आमीन

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ، عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔